

## ऑनलाइन गेमिंग हेतु नियमों का मसौदा

### प्रलिस के लिये:

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशा-नरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहति) नयिम, 2021, ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र ।

### मेन्स के लिये:

ऑनलाइन गेमिंग हेतु नियमों का मसौदा ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ऑनलाइन गेमिंग के लिये नियमों का मसौदा जारी किया है ।

- प्रस्तावति नियमों को [सूचना प्रौद्योगिकी \(मध्यवर्ती दशा-नरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहति\) नयिम 2021](#) में संशोधन के रूप में पेश किया गया है ।

## नियमों का मसौदा:

- स्व-नयिमक नकियाय:**
  - ऑनलाइन खेलों को एक स्व-नयिमक नकियाय के साथ पंजीकृत करना होगा और नकियाय द्वारा मात्र स्वीकृत खेलों को ही भारत में कानूनी रूप से संचालति करने की अनुमत प्राप्त होगी ।
    - स्व-नयिमक नकियाय में **ऑनलाइन गेमिंग, सार्वजनिक नीति, सूचना प्रौद्योगिकी, मनोवज्जिज्ञान और चकितिसा सहति वविधि क्षेत्रों के पाँच सदस्यों** का एक नदिशक मंडल होगा ।
  - स्व-नयिमक नकियाय की संख्या एक या उससे अधिक हो सकती है और उन सभी को पंजीकरण के मानदंडों का वविरण देने वाली एक रपौरट के साथ केंद्र को उन खेलों के बारे में सूचति करना होगा जिन्हें उन्होंने पंजीकृत किया है ।
- अतरिकित सावधानी:**
  - ऑनलाइन गेमिंग फर्मों को **अतरिकित सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, जिसमें उपयोगकर्त्ताओं के KYC, पारदर्शी नकियासी (Transparent Withdrawal) और पैसे की वापसी तथा खेल संबंधी उचति वविरण शामिल है ।**
  - KYC के लिये उन्हें **भारतीय रजिस्टर बैंक (RBI)** द्वारा वनियमति संस्थाओं हेतु नरिधारति मानदंडों का पालन करना होगा ।
- रैंडम नंबर जनरेशन सर्टफिकिट:**
  - गेमिंग कंपनियों को एक रैंडम नंबर जनरेशन सर्टफिकिट भी सुरकषति करना होगा, जो आमतौर पर उन प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किया जाता है जो यह सुनिश्चति करने के लिये कार्ड गेम की पेशकश करते हैं कि गेम आउटपुट सांख्यिकीय रूप से यादृच्छिक और अपरत्याशति हैं ।
  - उन्हें एक प्रतषिठति प्रमाणति नकियाय से **"नो बॉट सर्टफिकिट"** भी प्राप्त करना होगा ।
- सट्टेबाज़ी पर प्रतबिंध:**
  - ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को **खेलों के परणाम पर सट्टेबाज़ी की अनुमत नहीं दी जाएगी ।**
- अनुपालन:**
  - सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स कंपनियों की तरह ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को भी एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा जो यह सुनिश्चति करेगा कि प्लेटफॉर्म मानदंडों का पालन कर रहा है, एक नोडल अधिकारी जो सरकार के साथ संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करेगा तथा एक शकियायत अधिकारी जो उपयोगकर्त्ता की शकियायतों का समाधान करेगा ।

## नयिम की आवश्यकता:

- भारत में लगभग 40 से 45% गेमर्स महिलाएँ हैं और इसलिये गेमिंग इकोसिस्टम को सुरकषति रखना और भी महत्त्वपूर्ण था ।
- यह ऑनलाइन गेमिंग के लिये व्यापक वनियमन हेतु पहला कदम माना जाता है और राज्य-वार वनियमक अंतर को कम करेगा जो उद्योग के लिये एक बड़ी चुनौती थी ।

- भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व वर्ष 2025 में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
- यह उद्योग वर्ष 2017-2020 के बीच भारत में 38% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate- CAGR) से बढ़ा, जबकि चीन में यह 8% और अमेरिका में 10% था।
- VC फर्म सिकोइया और प्रबंधन परामर्श कंपनी BCG की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 तक राजस्व में 153 अरब रुपए तक पहुँचने के लिये 15% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/draft-rules-for-online-gaming>

